

सं.03/02/2012-रा.भा. (सेवा)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1 दिनांक 12 नवंबर 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उन्हें स्थायी किये जाने के संबंध में ।


उपरोक्त विषय पर कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 03/02/2012-रा.भा. (सेवा), दिनांक 18.12.2019 का सन्दर्भ लें ।

2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वर्ष 2013 की परीक्षा में सफल हुए निम्नलिखित कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के स्थाईकरण करने पर विचार करने हेतु निम्न दस्तावेज (अनधिकृत अवकाश से संबन्धित प्रमाण पत्र, सतर्कता निकासी एवं छोटी-बड़ी शास्ति प्रमाण पत्र तथा ए.पी.ए. आर के मूल डोजियर) भिजवाने का अनुरोध किया गया था परंतु संबन्धित मंत्रालय/विभागों ने अपेक्षित दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं:-

क्रम सं०	नाम सुश्री/श्रीमती/श्री	मंत्रालय/विभाग	अभ्युक्ति
1	राजेश कुमार झा	वाणिज्य विभाग	-
2	सफदर इमाम उमरानी	दूरसंचार विभाग	केवल ई.आर.प्राप्त हुई है ।
3	निखिलेश	विधि एवं न्याय मंत्रालय	-
4	जयप्रकाश तिवारी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	-
5	विपिन कुमार झा	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	-
6	सतीश कुमार	वस्त्र मंत्रालय	-
7	अनुज कुमार पी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, तिरुवनंतपुरम	केवल सतर्कता निकासी भिजवानी है ।
8	मीना कुमारी	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय	केवल ई.आर.प्राप्त हुई है।
9	जितेंद्र कुमार	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	-
10	सुश्री कोमल	दूरसंचार विभाग	-
11	राजेश कुमार शाव	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	-
12	धीरज कुमार यादव	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	-

2. संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के उपलब्ध न कराए जाने के कारण केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग वर्ष 2013 के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के स्थाईकरण करने पर विचार करना संभव नहीं है।

3. संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 27 नवंबर 2020 तक अधोहस्ताक्षरी को भिजवाएं।


12.11.2020
(वी.एल.मीना)
निदेशक (सेवा)

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशा), वाणिज्य विभाग।
2. अवर सचिव (प्रशा), दूरसंचार विभाग।
3. अवर सचिव (प्रशा), विधि एवं न्याय मंत्रालय।
4. अवर सचिव (प्रशा), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।
5. अवर सचिव (प्रशा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
6. अवर सचिव (प्रशा), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. अनुभाग अधिकारी, EC-IV(SC) महानिदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
8. उप विकास आयुक्त (प्रशा), विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, नई दिल्ली।
9. अवर सचिव (प्रशा), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
10. अवर सचिव (प्रशा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. अवर सचिव (प्रशा), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग।
12. गार्ड फाइल।